UPRB010037472026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह), (एच जे एस)–UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1548/2026

रचित उम्र लगभग 18 वर्ष पुत्र स्व० शिव सिंह निवासी जमुनीपुर, थाना शिवगढ़, जनपद रायबरेली।

–––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली।

–––अभियोगी

एवं

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1582/2026

बृजेश उर्फ बीरू उर्फ लुक्का उम्र 20 वर्ष पुत्र कन्हैयालालनिवासी हिलहा थाना महराजगंज, जिला रायबरेली।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली।

––अभियोगी

एवं

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1645/2026

अभिषेक उम्र 21 वर्ष, पुत्र पारसनाथ, निवासी भैयापुर मजरे हिलहा,थाना महराजगंज, जिला रायबरेली।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली।

––अभियोगी

04–07–2026

उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र एक ही घटना, एक ही अपराध संख्या से सम्बन्धित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। मूलतः जमानत आदेश जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1548/2026 रचित प्रति उ०प्र०राज्य पर पारित किया जा रहा है। उक्त आदेश की प्रति जमानत शेष प्रार्थनापत्रों पर रखी जायेंगी।

उपरोक्त जमानत आवेदकगण/अभियुक्तगण **रचित एवं बृजेश उर्फ बीरू उर्फ लुक्का** की ओर से अपराध संख्या **38/2026,** में अन्तर्गत धारा– **331(4),305(A), 317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,** व अभियुक्त **अभिषेक** की ओर से अन्तर्गत अपराध संख्या **38/2026,** अन्तर्गत धारा– **331(4),305(A)भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **महराजगंज,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा सम्बन्धित थाना में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि – "घटना दिनांक 12.04.2026 की है। प्रार्थी के सगे चाचा श्री रामप्रताप सिंह पुत्र जगदम्बा सिंह निवासी ग्राम हिलहा कोतवाली महराजगंज जिला रायबरेली के घर पर चोरों ने 1,00,000/– रुपये नगदी व एक जोड़ी झुमकी व दो जोड़ी पायल व एक अंगूठी कमरे का

ताला तोड़कर अन्दर रखी आलमारी से गायब कर दिया। प्रार्थी के चाचा के घर पर दिनांक 19.04.202 को बरीक्षोत्सव का कार्यकम होना था, जिस कारण घर पर धीरे–धीरे तैयारियां की जा रही थी। उक्त चोर पिछले लगभग पांच सालों से अलग–अलग जगहों पर लगातार चोरियां कर रहे हैं जिनका चोरी का काफी इतिहास है। चोरी की घटना का अंजाम देने के लिए रौनक सिंह के घर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है।

प्रार्थी–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में आवेदकगण–अभियुक्तगण को झूंठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष है प्रार्थी/अभियुक्तगण को फर्जी तथ्यों के आधार पर अपराध उपरोक्त में नामित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का घटना का उपरोक्त से कोई भी वास्ता सरोकार नही है। वादी मुकदमा द्वारा थाना महराजगंज में दिये गये तहरीर में प्रार्थी/अभियुक्त रचित का नाम अंकित नही है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही प्रार्थी/अभियुक्त का नाम अंकित है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के पास से किसी प्रकार की कोई बरामगदी नही हुई है जो भी बरामदगी पुलिस द्वारा दिखाई गयी है जो पूर्णतया फर्जी एवं बनावटी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण किसी प्रकार की घर के अन्दर घुसकर चोरी नही की है और न ही प्रार्थी/अभियुक्तगण के पास से चोरी की गयी वस्तु की बरामदगी हुयी है। कथित प्राथमिकी में मुकदमा वादी से प्रार्थी/अभियुक्तगण की कोई पहचान नही करायी गयी है। कथित घटना, गिरफ्तारी व कथित बरामदगी से समय का कोई जनता का साक्षी नामित नही है। प्रार्थी/अभियुक्त रचित के पिता की मृत्यु हो गयी है जो थाना महराजगंज में होमगार्ड के पद पर कार्यरत थे प्रार्थी/अभियुक्त रचित अपनी मां का इकलौता पुत्र है किसी प्रकार अपना और अपनी मां का जीवन–यापन करता है। प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार है। वे जमानत का दुरूपयोग नही करेगें। इन परिस्थितियों में आवेदक–अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है अभियुक्त रचित प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है किन्तु उनका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। शेष अभियुक्तगण नामजद अभियुक्त हैं। आवेदक–अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन किया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का लम्बा आपराधिक इतिहास है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से यह बचाव लेने का प्रयास किया गया है कि चुनावी रंजिश के कारण प्रार्थी/अभियुक्तगण को प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को उनके घर से उठाकर उक्त बरामदगी दिखाई गयी है जिसकी कोई शिनाख्त कार्यवाही नही करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक के पास से कोई बरामदगी नही हुयी है। प्रार्थी/अभियुक्त रचित प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही है। प्रार्थी/अभियुक्त रचित को नामित अभियुक्त बृजेश उर्फ बीरू उर्फ लुक्का के साथ गिरफ्तार दिखाकर प्रस्तुत प्रकरण में बाद में नामित किया गया है। कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को प्रस्तुत प्रकरण में फर्जी तरीके से झूठा फंसाया गया

है।

जहाँ तक प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा लिये गये उपरोक्त बचावों का प्रश्न है, प्रार्थी/अभियुक्तगण पर वादी के घर में घुस कर चोरी कर लिये जाने का अभियोग है तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण रचित व बृजेश उर्फ बीरू उर्फ लुक्का से चोरी का सामान बरामद होना भी दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व से इसी प्रकार के कई मामले लम्बित हैं, जिनका विवरण निम्नवत है-

प्रार्थी/अभियुक्त रचित का आपराधिक इतिहास–

1. मु०अप०सं० 265/2023, धारा 380, 411, 457 IPC थाना महराजगंज, रायबरेली
2. मु०अप०सं० 305/2023 धारा 380, 411, 457 IPC थाना महराजगंज, रायबरेली
3. मु०अप०सं० 37/24 धारा 380, 411, 457 IPC थाना महराजगंज, रायबरेली
4. मु०अप०सं० 315/25 धारा 3(1)(घ) 3(1)(द), 115(2), 351(3), 352BNS रायबरेली

प्रार्थी/अभियुक्त बृजेश उर्फ बीरू उर्फ लुक्का का आपराधिक इतिहास–

1. मु०अप०सं० 454/2024 धारा 60(1) उ०प्र०उत्पाद शुल्क /आबकारी अधिनियम थाना गुरूबक्शगंज
2. मु०अप०सं० 259/2023 धारा 60(1) उ०प्र०उत्पाद शुल्क /आबकारी अधिनियम थाना महराजगंज
3– मु०अप०सं० 265/2023 धारा 380, 411, 457 IPC थाना महराजगंज, रायबरेली
4– मु०अप०सं० 305/2023 धारा 380, 411, 457 IPC थाना महराजगंज, रायबरेली
5. मु०अप०सं० 399/2023 धारा 2/3 उ०प्र०गिरोह बन्द समाज विरोध क्रि०कलाप नि०अधि०थाना महराजगंज
6– मु०अप०सं० 393/2023 धारा379, 411IPC थाना शिवगढ़

प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक का आपराधिक इतिहास–

1–मु०अप०सं० 327/2023 धारा 380, 411, 457 IPC थाना बछरावां, रायबरेली
2. मु०अप०सं० 265/2023 धारा 380, 411, 457 IPC थाना महराजगंज, रायबरेली
3– मु०अप०सं० 305/2023 धारा 380, 411, 457 IPC थाना महराजगंज, रायबरेली
4– मु०अप०सं० 399/23 धारा 2, 3 उ०प्र०गिरोह बन्द समाज विरोध क्रि०कलाप नि०अधि०थाना महराजगंज

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व प्रार्थी/अभियुक्तगण के आपराधिक पृष्ठभूमि के दृष्टिगत आवेदक–अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने के पर्याप्त आधार नही पाये जाते है। तदानुसार आवेदक–अभियुक्तगण के उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी–अभियुक्तगण **रचित एवं बृजेश उर्फ बीरू उर्फ लुक्का** की ओर से अपराध संख्या **38/2026,** में अन्तर्गत धारा– **331(4),305(A), 317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,** व अभियुक्त **अभिषेक** की ओर से अपराध संख्या **38/2026**, में अन्तर्गत धारा– **331(4),305(A)भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **महराजगंज,** जिला **रायबरेली** के मामले में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाते है।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
04–07–2026

Renu Srivastava
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.07.04 14:08:19 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Raebareli